UPHR010060372025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थित–रीता कौशिक, (एच०जे०एस०)

(जे०ओ० कोड–यू०पी० 5728)

दाण्डिक निगरानी संख्या–254/2025

1. श्रवण कुमार पुत्र स्व० बृजकिशोर,

2. सौरभ पुत्र श्रवण कुमार,

सर्व निवासी ग्राम कोटकला कस्बा थाना कोतवाली पिहानी, जिला हरदोई।

---------- **निगरानीकर्ता।**

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र स्व०बृज किशोर निवासी ग्राम कोटकला कस्बा थाना कोतवाली पिहानी, जिला हरदोई।

2. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरदोई।

---------- **विपक्षीगण।**

निर्णय

1– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी अन्तर्गत धारा–438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, निगरानीकर्तागण/विपक्षीगण श्रवण कुमार आदि की ओर से परिवाद संख्या–2370/2026, विनोद कुमार बनाम श्रवण कुमार आदि में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–02, हरदोई द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 30.05.2025, जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण/विपक्षीगण श्रवण कुमार व सौरभ आदि को अंतर्गत धारा–323, 504 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत विचारण हेतु आहूत किया गया है, से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2– संक्षेप में निगरानी के तथ्य यह है कि प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 विनोद कुमार के द्वारा निगरानीकर्ता/विपक्षी श्रवण कुमार आदि के विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी चार भाई श्रवण कुमार, विनोद कुमार, राजेश, कुमार व सुशील कुमार पुत्रगण स्व० बृजकिशोर निवासी मो० कोट कला कस्बा व थाना कोतवाली पिहानी जिला हरदोई के है। विपक्षी श्रवण कुमार विवाहित है उसके दो पुत्र व दो पुत्रियां है जबकि प्रार्थी विनोद कुमार, राजेश कुमार व सुशील कुमार अविवाहित है। प्रार्थी व राजेश कुमार व

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.07.22 16:30:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सुशील कुमार अरसा दराज से बाहर रहकर प्राइवेट नौकरी करके जीवन यापन कर रहे है। पैतृक मकान के आधे हिस्से पर श्रवण कुमार का मकान बना है तथा आधे हिस्से मे हम तीनो अविवाहित भाई निवास करते हैं। मकान मे विभाजन है तथा निकास अलग अलग है। विपक्षी सं० 1 की नियत प्रार्थी व उसके अविवाहित भाईयों के हिस्से को हड़प कर लेने की है। इस कारण हम तीनो अविवाहित भाई जब भी पिहानी आकर अपने हिस्से वाले मकान मे रहते है तब विपक्षी व उसका बेटा सौरभ हम लोगों को डरा धमका कर पुलिस का डर दिखाकर तथा मारपीट करके भगा देते है और धमकी देते है मेरे पिता जमीन व मकान हमे दे गये है। तुम लोगो का यहाँ कुछ नही है। हम लोगो को विपक्षी सं० 1 व 2 गाली गलौज करके धमकी देते रहते है । दिनांक 28.09.2022 को समय लगभग 8.30 बजे शाम की घटना है जब प्रार्थी व उसके भाई राजेश कुमार व सुशील कुमार व प्रार्थी के घर मेहमानी में आयी विवाहित बहन पूजा मिश्रा घर मे साथ बैठे खाना खा रहे थे। उसी समय श्रवण कुमार व उसका पुत्र सौरभ व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति, जिसे हम सभी लोग पहचान नहीं पाये, मेरे घर मे जबरदस्ती घुस आये श्रवण कुमार व उसका पुत्र सौरभ कमरे में घुस आये व अन्य अज्ञात व्यक्ति हाथ मे तमंचा लेकर ऑगन मे खड़ा रहा तो हम लोग डर गये। श्रवण कुमार ने हम लोगों को गाली गलौज देते हुये अपने पुत्र सौरभ से कहा इस सुशील को मारो यही ज्यादा बोलता है। प्रार्थी का भाई सुशील कुमार शारीरिक रूप से काफी कमजोर है। सौरभ ने जान से मार डालने की नियत से उसकी गर्दन पडकर जमीन पर गिरा दिया तथा जोर–जोर से गर्दन दबाने लगा, जिससे उसकी आँखे निकल आयी व बहोस हो गया। प्रार्थी व उसकी बहन पूजा मिश्रा ने किसी तरह से अपने भाई सुशील को छुडाया व सौरभ को अलग किया तब विपक्षी सं० 1 व 2 भविष्य मे जान से मार डालने की धमकी देते हुये चले गये। प्रार्थी व उसके भाई व बहन अज्ञात व्यक्ति के हाथ मे तमंचा देखकर डर गये। इस कारण दरवाजा बन्द करके रात भर घर पर रहे। प्रार्थी के भाई सुशील को काफी देर बाद होश आया। घटना को प्रार्थी की बहन पूजा मिश्रा पत्नी जयप्रकाश निवासी हरदोई शहर ने देखा व सुना है विपक्षीगण के दबाव मे मुहल्लेवासी कोई व्यक्ति गवाही नहीं देना चाहता है।

3– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 विनोद कुमार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं०धारा 156(3) दं०प्र०सं० को परिवाद के रूप में दर्ज किया। तत्पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के कथन धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत व उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण पूजा देवी व सुशील कुमार के बयान धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निगरानीकर्तागण को अं०धारा 323, 504 भां०दं०सं० के अन्तर्गत तलब किया गया।

4– निगरानीकर्ता/विपक्षी की ओर से निगरानी के आधार स्वरूप कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय परिवाद तथा साक्ष्य अं० धारा 200 व 202 जा०फौ० को ध्यान पूर्वक परिशीलन न करके आदेश पारित करने में महान भूल की है। परिवादी ने अपने कथन की पुष्टि में चोटों का डाक्ट्री मोआयना नहीं कराया है। घटना 28.09.2022 समय 8.30 पी०एम० की बतायी गयी है और प्रार्थना पत्र अं०धारा 156 (3) जा०फौ० दिनांक 22.11.22 को प्रस्तुत किया गया है विलम्ब का कोई कारण नहीं दिया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नही पेश किया गया है। निगरानीकर्तागण का एक फौजदारी परिवाद श्रवण कुमार मिश्र बनाम सुशील कुमार मिश्रा आदि परिवाद सं0– 10892/22 न्यायालय एफ०टी०सी०/सी०डि० में विचाराधीन है जिसमें पेशी– 30.1025 नियत है और जिसमें परिवादी व उसके भाई सुशील कुमार जो अं०धारा 202 में साक्षी है, जमानत पर है। मुकदमा विचाराधीन है। निगरानीकर्तागणगण का एक दीवानी का वाद ग्राम न्यायालय शाहाबाद हरदोई में वाद सं0–1609/2022 कथित घटना के पूर्व से मकानों में बटवारे के सम्बन्ध में विचाराधीन है। निगरानीकर्तागण व विपक्षीगण के विरूद्ध आपसी विवाद कथित घटना के पूर्व से चल रहे है, जिस कारण परिवादी ने झूठा मुकदमा दायर किया है जिनको अदालत में परिवादी द्वारा जानबूझकर छिपाया गया है। अवर न्यायालय का आदेश तथा एवं साक्ष्यो के आधार पर विधि विरूद्ध है। उक्त आधार पर रिवीजन स्वीकार करके अवर न्यायालय का पारित आदेश दिनांक 30.05.25 न्यायहित में अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– विपक्षी संख्या–1 विनोद कुमार की ओर से निगरानी के विरूद्ध लिखित आपत्ति 8 ब प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कथन किए गए है कि परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों जैसे घर में घुसकर मारना पीटना, जान से मार डालने की धमकी देना, नाजायज असलहा (तमन्चा) दिखाकर धमकी देना जैसे गम्भीर प्रकृति के अपराध को विपक्षीगणों द्वारा कारित किया जाना उक्त परिवाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य अं०धारा 200 व 202 जा0 फौ० के तहत न्यायालय में साक्षी का परीक्षण किया जाना एवं उसके उपरान्त तलबी बहस सुनने तथा विपक्षीगण को भी आपत्ति का अवसर देकर वाद का परिशीलन कर फिर भी अवर न्यायालय द्वारा वाद परीक्षण हेतु दिनांक 30.05.2025 को विपक्षीगणों को केवल अपराध धारा 323, 504 आई०पी०सी० में तलब किया जाना विपक्षीगणों के प्रति सकारात्मक भाव दर्शाते हुए उक्त आदेश न्यायसंगत प्रतीत होता है। इस कारण उक्त रिवीजन निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी एवं उसके भाई की चोटों का डाक्टरी परीक्षण, थाना पुलिस द्वारा मजरूबी चिट्ठी न लिखे जाने के कारण एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस द्वारा न लिखे जाने के कारण नही हो सका है। जिसके बगैर चोटों का परीक्षण सरकारी अस्पताल द्वारा बन्द कर दिया गया है। घटना दिनांक 28.09.2022 को रात 8:30 बजे की है। दिनांक 29.09.2022 को थाना पिहानी में प्रार्थना पत्र रिपोर्ट लिखाने

हेतु परिवादी द्वारा दिया जाता है कई दिन थाने दौड़ने के बावजूद भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को व्यक्तिगत मिलकर एवं जरिये डाक रजिस्ट्री द्वारा रिपोर्ट लिखाने का प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसके बावजूद भी रिपोर्ट नही लिखी जाती है। तब प्रार्थी विवश होकर दिनांक 23.11.2022 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र अं०धारा 156 (3) जा० फौ० के तहत देता है जिसे बाद में न्यायालय द्वारा परिवाद दर्ज किया जाता है। घर के अन्दर रात की घटना होने के कारण किसी बाहरी स्वतंत्र व्यक्ति का मौके पर मौजूद न होना स्वाभाविक प्रतीत होता है इस कारण रिवीजन निरस्त होने योग्य है। परिवादी / उत्तरदाता द्वारा जब न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया और निगरानीकर्तागण के दबाव को न माना गया तो निगरानीकर्तागण ने और दबाव बनाने के लिये दिनांक 27.11.2022 की एक फर्जी घटना बनाकर कई गम्भीर तथ्य दर्शाकर फर्जी साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 06.12.2022 को परिवादी व उसके भाई तभा तीन अन्य अज्ञात लोगों के विरूद्ध न्यायालय में प्रार्थना पत्र अं० धारा 156 (3) जा0 फौ० के तहत प्रार्थना पत्र दे दिया, जो बाद में परिवाद के रूप में दर्ज हुआ जिसमें परिवादी व उसके भाई को भी धारा 323, 504, 506 आई०पी०सी० में न्यायालय द्वारा तलब किया गया जो वर्तमान में विचाराधीन न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन एफ०टी०सी० के न्यायालय में है। निगरानीकर्तागण एवं उत्तरदातागण का मकान बंटवारे का मुकदमा दीवानी में विचाराधीन है. क्योंकि उत्तरदाता कुल मिलाकर के चार सगे भाई है जिसमें निगरानीकर्तागण को छोडकर विनोद कुमार, राजेश कुमार, सुनील कुमार अविवाहित है पिता की मृत्यु के पश्चात निगरानीकर्तागण ने पैतृक मकान को आधे से ज्यादा हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जबकि उक्त मकान में उसका 1/4 भाग (अंश) है। पैतृक सम्पत्ति मकान व अन्य सम्पत्ति पर जबरन बलपूर्वक मार पीट कर कब्जा कर लेने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। परिवादी द्वारा किसी भी तथ्य को छिपाया नही गया है इस कारण उक्त रिवीजन निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय का आदेश विधि सम्मत एवं साक्ष्यों के आधार पर न्याय संगत प्रतीत होता है जिसे उक्त मुकदमा विचारण हेतु बना रहना अति आवश्यक एवं न्यायप्रिय है। उत्तरदाता परिवादी को न्याय दिलाने हेतु उक्त रिवीजन का निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 की आपत्ति विरूद्ध रिवीजन प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–438 बी०एन०एस०एस० स्वीकार कर निगरानीकर्ता का रिवीजन प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरदोई/विपक्षी संख्या–2 की तरफ से तर्क व्यक्त किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7– निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क, विपक्षी संख्या–1 एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)/विपक्षी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया। निगरानी की पत्रावली, आक्षेपित आदेश तथा विद्वान विचारण न्यायालय के प्रपत्रों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

8– विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानकर्ता के विरूद्ध परिवादी विनोद कुमार के द्वारा प्रार्थना पत्र अं०धारा 156(3) दं०प्र०सं इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि " प्रार्थी चार भाई श्रवण कुमार, विनोद कुमार, राजेश कुमार व सुशील कुमार पुत्रगण स्व० बृजकिशोर निवासी मो० कोट कला, पिहानी, हरदोई के हैं। पैतृक मकान के आधे हिस्से में श्रवण कुमार तथा आधे हिस्से में प्रार्थीगण रहते हैं, जिनका अलग–अलग निकास है। श्रवण कुमार की नियत प्रार्थीगण के हिस्से को हड़पने की है, जिस कारण वह अपने पुत्र सौरभ के साथ मिलकर उन्हें डराता–धमकाता रहता है। दिनांक 28.09.2022 को समय करीब 8:30 बजे शाम प्रार्थी, उसके भाईगण व बहन पूजा मिश्रा घर में बैठे थे, तभी श्रवण कुमार, उसका पुत्र सौरभ व एक अज्ञात व्यक्ति जबरन घर में घुस आये। अज्ञात व्यक्ति तमंचा लिये खड़ा रहा। श्रवण कुमार के कहने पर सौरभ ने सुशील कुमार को जान से मारने की नीयत से जमीन पर गिराकर उसका गला दबाया, जिससे वह बेहोश हो गया। प्रार्थी व उसकी बहन ने किसी तरह उसे छुड़ाया। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये। घटना की साक्षी प्रार्थी की बहन पूजा मिश्रा है।" विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षी/परिवादी के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी का कथन अं०धारा 200 दं०प्र०सं० व परिवादी के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के कथन अं०धारा 202 दं०प्र०सं० अंकित किया गया।

9– तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा इस विवेचन के साथ कि "परिवादी द्वारा अपने बयान अं०धारा 200 दं०प्र०सं० तथा गवाहन ने अपने बयान अं०धारा 202 दं०प्र०सं० में घटना का समर्थन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्टया विपक्षीगण/अभियुक्तगण श्रवण कुमार व सौरभ को अं०धारा 323, 504 भा०दं०सं० में तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।" निगरानकर्तागण/अभियुक्तगण को श्रवण कुमार व सौरभको अं०धारा 323, 504 भा०दं०सं० में विचारण हेतु तलब किया गया है।

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता 204 के अधीन निर्देशिका निर्गत करते समय उक्त धारा में वर्णित विधिक सिद्धांतो के परिप्रेक्ष्य में विद्वान विचारण न्यायालय को मात्र यह देखना होता है कि प्रकरण में विपक्षीगण के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त प्रथमदृष्टया आधार है अथवा नहीं। यदि मजिस्ट्रेट यह पाता है कि विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रथमदृष्टया आधार है तो उक्त धारा के अधीन विपक्षीगण को विचारण हेतु आहूत करते हुए आदेशिका निर्गत कर सकता है। उक्त धारा के अधीन आदेशिका निर्गत करने के

बिन्दु पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह देखना आवश्यक नहीं है कि पत्रावली पर ऐसा पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं जिससे विपक्षीगण को दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा सके। उक्त धारा के अधीन आदेशिका निर्गत करते समय यह भी आवश्यक नहीं है कि विचारण न्यायालय/मजिस्ट्रेट सम्यक तरीके से कारण स्पष्ट करें कि कार्यवाही किये जाने के लिए प्रथमदृष्टया आधार है अथवा नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के कथन अं०धारा 200 दं०प्र०सं० व परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के कथन अं०धारा 202 दं०प्र०सं० को विचार में लेते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निगरानकर्तागण/अभियुक्तगण को श्रवण कुमार व सौरभ को अं०धारा 323, 504 भा०दं०सं० में बतौर अभियुक्तगण विचारण हेतु तलब किया गया है।

11. निगरानीकर्तागण के यह तर्क कि निगरानीकर्तागण एवं विपक्षीगण के मध्य पूर्व से विवाद चला आ रहा है तथा इसी कारण परिवादी द्वारा झूठा मुकदमा दायर किया गया है,घटना दिनांक 28.09.2022 की है तथा धारा–156(3) दं०प्र०सं० का प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.11.2022 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि तलबी आदेश के स्तर पर न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं। साक्षियों के कथनों की सत्यता एवं विश्वसनीयता का परीक्षण विचारण के समय साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाना है। अतः निगरानीकर्ता का उक्त तर्क निराधार है।

12. उक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितयों एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य साक्ष्य पर सम्यक विचारण करने के उपरांत निगरानीकर्तागण श्रवण कुमार एवं सौरभ को अं० धारा–323, 504 भा०दं०सं० विचारण हेतु पर्याप्त आधार पाते हुए परीक्षण हेतु तलब किया गया है।

13. **2012 (3) जे0 आई 0 सी0 पृष्ठ 772 (सुप्रीम कोर्ट) अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर तथा अन्य** के मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए, जहाँ पर जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है, वह बिल्कुल गलत है, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है और, बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिये गये हैं,तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या विधि विरूद्ध किया गया है।

14. उपरोक्त विवेचनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पर उपलब्ध सभी तथ्यों का सम्यक विश्लेषण करते हुये आलोच्य

आदेश दिनांकित 30.05.2025 पारित किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांकित 30.05.2025 में कोई क्षेत्राधिकार/विधिक त्रुटि नहीं है और न ही कोई तात्विक अनियमितता कारित की गयी है। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांकित 30.05.2025 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है एवं निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

निगरानीकर्तागण श्रवण कुमार आदि की ओर से प्रस्तुत निगरानी तद्नुसार निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 30.05.2025 तद्नुसार पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ आहुत अभिलेख (यदि कोई हो) संबंधित न्यायालय वापस सम्प्रेषित किया जावे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः22.07.2026 **(रीता कौशिक)**
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।

उक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करने के उपरान्त खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः22.07.2025 **(रीता कौशिक)**
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।